बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन

आदेश

राज्य सरकार के 07 निश्चयों में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के अधीन कुशल युवा क्रार्यक्रम के संचालन हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी थी। उक्त के आलोक में राज्य में विभिन्न केंन्द्रों को कुशल युवा प्रोग्राम संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। BSDC Fatuha (KYP06050055), पटना केन्द्र का लगातार निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम जाता है जिसके आधार पर स्पष्टीकरण दिनांक 22.05.2023 को पूछा गया।

पुनः दिनांक 12.07.2023 को जिला कौशल प्रबंधक द्वारा निरीक्षण किया गया तथा केन्द्र पर कमियां पायी गई। जिसके आधार पर केन्द्र के विपत्र से माह अगस्त 2023 से 60% की कटौती की जा रही है। दिनांक 27.11.2024 को पुनः जिला कौशल प्रबंधक द्वारा निरीक्षण किया गया तथा केन्द्र पर कमियां पायी गई। जिसके आधार पर अंतिम स्पष्टीकरण दिनांक 16.12.2024 को पूछा गया। जिला कौशल प्रबंधक द्वारा केन्द्र का दिनांक 01.01.2025 का निरीक्षण किया गया तथा केन्द्र बंद पाया गया।

विदित हो कि कार्यालय पत्रांक 2329 दिनांक 03.10.2024 द्वारा ओदश दिया गया है कि यदि कोई कुशल युवा केन्द्र छह महीने से बंद है अथवा छह महीने से अपने केन्द्र की त्रुटि का निराकरण नहीं कर रहा है तो केन्द्र को रद्द करते हुए उनका केन्द्र निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तदालोक में सम्यक विचारोपरान्त कुशल युवा केन्द्र BSDC Fatuha (KYP06050055), पटना के पंजीकरण को रद्द किया जाता है।

उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

Signed by
Suresh Kumar Singh
Date: 03-04-2025 17:50:01

(सुरेश कुमार सिंह)
मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन।

प्रतिलिपि–(1) BSDC Fatuha (KYP06050055), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) Project Director, MKCL/Project Director, E&Yको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) Team Leader – TBA (FMAS) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(4) मिशन प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(5) जिला नियोजन पदाधिकारी/जिला कौशल प्रबंधक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(6) सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन।